

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09072025-264484
SG-DL-E-09072025-264484असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 118

No. 25]

DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

[N. C. T. D. No. 118]

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2025

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025

प्रस्तावना

सं. 36/ नियम/डीएचसी.—चूंकि, न्यायालयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित प्रक्रिया को समेकित, एकीकृत और सुव्यवस्थित करना समीचीन है;

चूंकि, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के अंतर्गत विचारण, जांच और कार्यवाहियों के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं अन्य ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग को औपचारिक रूप देने और सक्षम बनाने के उद्देश्य के लिए समीचीन है;

चूंकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 54, 63, 64, 70, 71, 94, 154, 183, 187, 193, 209, 227, 230, 231, 251, 254, 262, 265, 266, 308, 310, 316, 336, 355, 356, 392 और 530 के अंतर्गत विभिन्न

कार्यवाहियों के लिए ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य रूपों के उपयोग को मान्यता प्रदान की गई है;

चूँकि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 530 के अनुसार, इस संहिता के अंतर्गत सभी विचारण, जांच और कार्यवाहियां, जिनमें शिकायतकर्ता एवं गवाहों का परीक्षण, जांच एवं विचारणों में गवाही शामिल है तथा सभी अपीलीय कार्यवाहियां अथवा अन्य कोई कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक संचार अथवा ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित की जा सकती हैं;

चूँकि, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) सहपाठि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा दिल्ली उच्च न्यायालय (ऑरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय एवं ज़िला न्यायालयों के समक्ष सभी सिविल कार्यवाहियों व वाणिज्यिक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा गवाही और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों के संचालन को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है;

चूँकि, दिल्ली के न्यायालय वर्तमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम दिनांकित 26.10.2021, राजपत्र में दिनांक 26.10.2021 को अधिसूचित, के अंतर्गत सिविल के साथ-साथ आपराधिक कार्यवाहियों में जांच और विचारण के संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहे हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 और 227, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की अन्य समर्थ बनाने वाली धाराओं का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाता है।

अध्याय- 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ :-

- (1) ये नियम "इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025" कहलाएंगे।
- (2) ये दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी ज़िला न्यायालयों एवं प्राधिकरणों तथा लंबित मामलों में होने वाली सभी न्यायिक, विभागीय एवं मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।
- (3) ये इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ:-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत बनाई गयी किसी भी सूची में शामिल अधिवक्ता तथा इन नियमों के प्रयोजनार्थ अभियोजन अधिकारीगण और सरकारी वकील भी इनमें शामिल होंगे।
 - (ख) "वकीलों के दूरस्थ स्थल" से अभिप्रेत है ऐसा स्थान जहाँ से कोई अधिवक्ता या अधिवक्तागण किसी लाइव लिंक के माध्यम से उपस्थित हो सकें और इसमें वकील का चैम्बर या कार्यालय या बार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अधिसूचित कोई भी स्थान सम्मिलित होगा।
 - (ग) "कमिश्वर" से अभिप्रेत है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत कमिश्वर के रूप में नियुक्त व्यक्ति।
 - (घ) "समन्वयक" से अभिप्रेत है नियम 5 के तहत समन्वयक के रूप में नामित व्यक्ति।
 - (ङ) "न्यायालय" में न्यायालय कक्ष और आभासी न्यायालय या अधिकरण शामिल है।
 - (च) "न्यायालय स्थल" से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष या वह स्थान जहाँ पर भौतिक रूप से न्यायालय का संचालन किया जा रहा है या वह स्थान जहाँ एक कमिश्वर या एक जांच अधिकारी न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करता है।

(छ) "न्यायालय कक्ष" से अभिप्रेत है वह स्थान या कक्ष या सीमित क्षेत्र जहाँ न्यायालय की कार्यवाहियाँ आयोजित की जाती हैं।

(ज) "निर्दिष्ट स्थल" से अभिप्रेत है ऐसे एक या अधिक निर्दिष्ट स्थल, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग की सुविधा न्यायालय स्थल के साथ उपलब्ध कराई गई हो तथा इनमें अति संवेदनशील गवाहों का गवाही केंद्र भी शामिल होगा जहाँ ऐसे गवाहों की गवाही ली जा सकती है।

(झ) "निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर" से अभिप्रेत है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग हेतु, दिल्ली उच्च न्यायालय/संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदित सॉफ्टवेयर।

(ज) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है दिल्ली उच्च न्यायालय।

(ट) "लाइव लिंक" से अभिप्रेत है एवं इसमें शामिल है कोई ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार हेतु लाइव लिंक या कोई अन्य व्यवस्था, जिसकी सहायता से किसी गवाह, अभियुक्त, पक्षकार, अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए, न्यायालय द्वारा न्यायालय कक्ष में आभासी रूप से उपस्थित रहने को कहा गया हो।

(ठ) "दूरस्थ स्थल" से अभिप्रेत है एक ऐसा स्थल जहाँ किसी व्यक्ति को एक लाइव लिंक के माध्यम से पेश होने या उपस्थित रहने को कहा जाता है और इसमें वह निर्दिष्ट स्थल भी शामिल है, जहाँ से न्यायालय के समक्ष निवेदन किया जा सकता है, परन्तु इसमें अधिवक्ता का दूरस्थ स्थल शामिल नहीं है।

(ड) "दूरस्थ प्रयोक्ता" से अभिप्रेत है निर्दिष्ट स्थल या अधिवक्ता के दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेने वाला प्रयोक्ता।

(इ) "अभीष्ट व्यक्ति" में शामिल हैं:-

- ऐसा व्यक्ति जिसकी गवाह, शिकायतकर्ता या अन्य किसी रूप में गवाही होनी है; या
- ऐसा व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति में कुछ निर्धारित कार्यवाहियाँ दर्ज या संचालित की जानी हैं, जिसमें अभियुक्त भी शामिल है; या
- कोई अधिवक्ता अथवा पक्षकार स्वयं ; या
- कोई व्यक्ति, जिसमें पीड़ित भी शामिल है, जिससे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ करना अपेक्षित है; या
- कोई अन्य व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से पेश होने की अनुमति है।

(ण) "नियम" से अभिप्रेत इन नियमों से है और किसी भी नियम या उप-नियम का संदर्भ, इन नियमों के नियम या उप-नियम का संदर्भ होगा।

(२) यहाँ प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय नियम; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015; सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 में निर्दिष्ट किया गया है।

3. सन्दर्भों की व्याख्या:-

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के किसी भी सन्दर्भ में, सम्बंधित प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के सन्दर्भ को भी शामिल माना जाएगा।

अध्याय II

सामान्य सिद्धांत-।

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यान्वयन :-

4.1. इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई (BNSS की धारा 530)

सभी विचारण, जांच और कार्यवाहियाँ इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग से संचालित की जा सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- शिकायतकर्ताओं और साक्षियों की गवाही
- साक्ष्य का संग्रहण और संरक्षण
- साक्ष्य का अभिलेखन
- अपीलीय और अन्य न्यायिक कार्यवाहियाँ

4.2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति (BNSS की धारा 154, 355)

न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकते हैं, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जहां अभियुक्त अनुपस्थित हो।

4.3. न्यायिक हिरासत में अभियुक्त (BNSS की धारा 187)

अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, पहली उपस्थिति को छोड़कर, जिसमें भौतिक रूप से पेश होना आवश्यक होता है।

4.4. आरोपों की विरचना (BNSS की धारा 251)

अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए जा सकते हैं तथा उनकी दलील को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जा सकता है।

4.5. साक्ष्यों की गवाही (BNSS की धारा 254, 265, 266, 310, 356)

साक्ष्यों की गवाही और लिखित व्यान निर्दिष्ट स्थलों पर ऑडियो-वीडियो माध्यमों द्वारा दर्ज किए जा सकते हैं।

4.6. किसी पुलिस अधिकारी या लोक सेवक की गवाही का अभिलेखन (BNSS की धारा 254)

न्यायिक कार्यवाहियों में शीघ्रता लाने के लिए लोक सेवकों की गवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलिखित किया जा सकता है।

4.7. अभियुक्त का उन्मोचन (BNSS की धारा 262)

न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनका परीक्षण कर सकता है।

4.8. अभिरक्षा में अभियुक्त का परीक्षण (BNSS की धारा 316)

अभिरक्षा में रखे गए अभियुक्त का परीक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा सकता है, जिसमें 72 घंटों के भीतर हस्ताक्षर सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा।

4.9. लोक सेवकों, विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों की गवाही (BNSS की धारा 336)

लोक अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं।

4.10. निर्णय की घोषणा (BNSS की धारा 392)

अभिरक्षा में रखे गए अभियुक्तगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना निर्णय सुन सकते हैं।

4.11. गवाही के अभिलेखन के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति (BNSS की धारा 308)

साक्ष्य के अभिलेखन के दौरान अभियुक्तगण भौतिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

अध्याय III

सामान्य सिद्धांत-2

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांत:-

निम्न वर्णित प्रावधानों के अध्यधीन, न्यायिक कार्यवाहियों तथा न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों के प्रत्येक चरण में, जहाँ किसी व्यक्ति को उपस्थित होने या पेश होने की आवश्यकता हो, परंतु वह भौतिक रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हो सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों से न्यायालय द्वारा की गई सभी कार्यवाहियाँ न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी और सभी पक्षकारों को इन कार्यवाहियों के लिए लागू शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

(ii) न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होने वाले सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

(iii) स्वतंत्रता, निष्पक्षता और न्यायिक कार्यवाही की विश्वसनीयता को बनाए रखने और उच्च न्यायालय द्वारा संभावित रूप से जारी किए जाने वाले निर्देशों के अध्यधीन, न्यायालय समय-समय पर उपलब्ध होने वाली तकनीकी प्रगति को अपना सकता है।

(iv) न्यायालय केवल उच्च न्यायालय/सरकार द्वारा अनुमोदित और सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे, जो डेटा और गोपनीयता संरक्षण हेतु एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से युक्त होंगे।

(v) कोई भी अनधिकृत पहुँच, हैरिंग के प्रयास, या सुरक्षा भंग की स्थिति में तत्काल रिपोर्ट की जाएगी और विधि के अनुसार उसका समाधान किया जाएगा।

(vi) न्यायालय पर लागू होने वाले नियम, यथावश्यक परिवर्तन सहित न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के लिए नियुक्त कमिश्नर और जांच का संचालन करने वाले जांच अधिकारी पर लागू होंगे।

(vii) जब तक कि न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह न्यायालय स्थल पर हो, या निर्दिष्ट स्थल या दूरस्थ स्थल या अधिवक्ता के दूरस्थ स्थल पर हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों द्वारा संचालित कार्यवाही या उसके किसी भाग की रिकॉर्डिंग या प्रकाशन नहीं करेगा।

(viii) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कार्यवाही की कोई अनधिकृत रिकॉर्डिंग नहीं की जाएगी।

6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों से उपस्थित होने वाले व्यक्ति की पहचान:-

नियम 2 (1)(d) में परिभाषित व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से न्यायालय स्थल समन्वयक को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान-पत्र प्रदान करेगा। यदि पहचान-पत्र तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय, यदि संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति को विना पहचान-पत्र प्रस्तुत किए कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुशंसित सुविधाएँ:-

(i) प्रत्येक न्यायालय कक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से युक्त किया जाएगा, जिससे हितधारकों के साथ निर्बाध संपर्क संभव हो सके। इस एकीकरण से आभासी सुनवाई के लिए किसी अलग निर्दिष्ट कक्ष में जाने की आवश्यकता समाप्त होगी, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और न्यायिक कार्यवाहियों में सुधार होगा।

(ii) प्रत्येक जिला स्तर पर शीघ्र ही एक निर्दिष्ट एवं विशिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी।

(iii) पुलिस थानों, कारागारों, अभियोजन कार्यालयों, फोरेंसिक विभागों तथा अन्य निर्दिष्ट स्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु एक विशिष्ट स्थल की स्थापना की जाएगी।

न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यवाही संचालित करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की अनुशंसा की जाती है:

(i) डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऑल-इन-वन या कोई अन्य प्रदर्शन या प्रक्षेपण प्रणाली;

(ii) हाई स्पीड वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी;

(iii) लैन (LAN)/वाई फाई सेट-अप;

(iv) वीडियो उपकरण, हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे सहित;

(v) ऑडियो उपकरण, माइक्रोफोन और स्पीकर सहित;

(vi) सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, लॉगिन प्रणाली के माध्यम से बहु-उपयोगकर्ताओं की धमता सहित;

(vii) प्रतिलेखन सॉफ्टवेयर और न्यायालय द्वारा अनुमोदित रिकॉर्डिंग प्रणाली;

(viii) सर्वर या क्लाउड के माध्यम से पर्याप्त स्टोरेज विकल्प;

(ix) आईटी सपोर्ट और रखरखाव; और

(x) पॉवर बैकअप, यू.पी.एस. और/या जेनरेटर के माध्यम से।

8. उच्च न्यायालय द्वारा क्रय किए जाने वाले निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर से निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी :-

(i) एक ऑनलाइन, वास्तविक समय सहयोगी सॉफ्टवेयर, जिसमें वीडियो, वॉइस, स्क्रीन साझा करने, दस्तावेज़ साझा करने, प्रस्तुति, रिकॉर्डिंग आदि जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

(ii) समाधान में एक व्हाइटबोर्ड होना चाहिए, जो संदेशों को प्रदर्शित करने और बैठकों या सत्रों को रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करे।

(iii) प्रत्येक बैठक कक्ष में विस्तारित रिपोर्ट सहित विभिन्न उपयोगकर्ताओं की पूर्ण प्रवेश लॉग, जिसमें IP/उपकरण विवरण और एप्लीकेशन विवरण शामिल होंगे, उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) इस प्लेटफॉर्म को भारत स्थित डेटा सेंटर पर होस्ट किया जाएगा, जिसमें 100% आपदा पुनर्प्राप्ति साइट उपलब्ध होगी।

(v) यह प्लेटफॉर्म क्रॉस-प्लेटफॉर्म कार्यक्षमता प्रदान करेगा, जिससे यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे Windows, Linux, macOS, IOS आदि पर निर्वाध रूप से कार्य करेगा, जिससे सभी प्रतिभागियों के लिए एक विविध तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप एकरूप उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित किया जा सके तथा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग पर सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव निश्चित रूप से प्राप्त हो।

(vi) यह प्लेटफॉर्म एक समय में 500 उपयोगकर्ता लॉगिन की क्षमता के साथ मल्टी-पॉइंट कनेक्टिविटी को विस्तारित करने योग्य बनाएगा।

(vii) यह प्लेटफॉर्म कई उपयोगकर्ताओं के बीच निजी और गोपनीय ब्रेकआउट रूम की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(viii) यह प्लेटफॉर्म सार्वजानिक सुनवाई की अवधारणा में सक्षम होगा और/या मामलों की वाद सूची के साथ अधिवक्ताओं द्वारा समन्वयन एवं अनुसूची की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें प्रतीक्षा कक्ष के साथ या बिना प्रतीक्षा कक्ष, वाद सूची के अनुसार स्वचालित रूप से मामलों को शामिल करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(ix) प्लेटफॉर्म में न्यायालय के स्तर पर अंतिम नियंत्रण सुविधा, न्यायालय स्थल, सर्वर या क्लाउड पर रिकॉर्डिंग और अभिलेखीकरण की व्यवस्था उपलब्ध होगी।

(x) प्लेटफॉर्म में कार्यवाहियों की ऑडिट ट्रेल की सुविधा उपलब्ध होगी तथा फायरवॉल का प्रावधान भी होगा।

9. समन्वयकों की नियुक्ति :-

(1) न्यायालय स्थल और निर्दिष्ट स्थल, दोनों स्थल, जहां से किसी भी अपेक्षित व्यक्ति की परीक्षा या सुनवाई की जानी है या जहाँ उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, एक-एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। हालाँकि, दूरस्थ स्थल पर समन्वयक की आवश्यकता तभी हो सकती है जब किसी गवाह या अपराध के आरोपी व्यक्ति की गवाही होनी हो।

(2) सभी न्यायालयों में, उच्च न्यायालय या संबंधित न्यायालय के द्वेषाधिकार में स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित एक या अधिक व्यक्ति, निर्दिष्ट स्थल के समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।

(3) न्यायालय, न्यायालय स्थल पर किसी भी न्यायालय कर्मचारी को समन्वयक नियुक्त कर सकता है।

(4) निर्दिष्ट स्थल पर निम्नलिखित में से कोई भी समन्वयक हो सकता है:

उप नियम	जहां अधिवक्ता या वांछित व्यक्ति निम्नलिखित स्थल पर है:-	दूरस्थ स्थल पर निम्न समन्वयक होंगे:-
9.(4).1	विदेश	भारतीय वाणिज्य दूतावास / संबंधित भारतीय दूतावास / संबंधित भारतीय उच्चायोग का अधिकारी।
9.(4).2	भारत के दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय	संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित कोई अधिकृत अधिकारी
9.(4).3	मध्यस्थता केंद्र या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय	संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष या सचिव या मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी द्वारा नामित कोई अधिकृत

		व्यक्ति/अधिकारी।
9.(4).4	जेल या कारागार	संबंधित जेल अधीक्षक या कारागार के प्रभारी अधिकारी।
9.(4).5	केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा शासित अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या उक्त अस्पताल का प्रभारी अधिकारी
9.(4).6	संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, आश्रय गृह, या ऐसी कोई भी संस्था जो बाल देखभाल संस्थान के रूप में जानी जाती हो और जहां वांछित व्यक्ति विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है या एक शिशु है या एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे बाल देखभाल संस्थान का निवासी हो।	उस बाल देखभाल संस्थान के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
9.(4).7	महिला बचाव गृह, संरक्षण गृह, आश्रय गृह, नारी निकेतन या कोई भी संस्था जो महिलाओं हेतु सुविधा केंद्र के रूप में जानी जाती हो (सामूहिक रूप से महिला सुविधा केंद्र के रूप में संदर्भित)।	उस महिला सुविधा केंद्र के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
9.(4).8	किसी अन्य सरकारी कार्यालय, संगठन या संस्थान (सामूहिक रूप से संस्थागत सुविधा के रूप में संदर्भित) की अभिरक्षा, देखभाल या नियोजन में।	उस संस्थागत सुविधा के अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।
9.(4).9	फोरेंसिक साइंस लैब	प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी या उनके नामांकित व्यक्ति
9.(4).10	किसी अन्य स्थान के मामले में	संबंधित न्यायालय संबद्ध विभाग के किसी भी लोक सेवक या लोक अधिकारी को समन्वयक के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यवाहियों का संचालन उचित, निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हो और उस बारे में न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हो।

(5) खंड 3.4.1 के प्रावधानों के बावजूद, जहां साक्षी की गवाही देश के बाहर स्थित किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में होनी है, वहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (धारा 110 व अध्याय 8) और "विदेश में जाँच और उस समय विद्यमान आपराधिक मामलों के सबंध में Letters Rogatory (LRs) / आपसी कानूनी सहायता (एमएलए) अनुरोध जारी करने व सम्मन नोटिस/न्यायिक दस्तावेजों को तामील करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश" के प्रावधानों का अनुसरण उस सीमा तक किया जाएगा जहाँ तक वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हों।

10. प्रारंभिक व्यवस्था :-

(1) निर्दिष्ट स्थल/दूरस्थ स्थल का समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) किसी विशेष कार्यवाही में पेश होने वाले वांछित व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्दिष्ट स्थल/ दूरस्थ स्थल पर निर्धारित समय से पहले तैयार रहें।
- (ख) किसी भी अनाधिकृत रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग न हो।
- (ग) वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति दूरस्थ स्थल या निर्दिष्ट स्थल में प्रवेश न करे।
- (घ) जिस व्यक्ति की गवाही हो रही है, उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार से उकसाया, सिखाया, मनाया, प्रेरित या बाध्य न किया जाए और जिस व्यक्ति की गवाही की जा रही है, वह गवाही के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना किसी दस्तावेज, लेख या उपकरण का उल्लेख न करे।
- (2) जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यम से गवाही देने वाले साक्षी को आवश्यकता हो या अन्यथा ऐसा करना आवश्यक हो, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम को बताते हुए पहले

ही पर्याप्त रूप से सूचित करेगा, और उचित मामलों में, संबंधित दूरस्थ स्थल के लिए, समन्वयक को सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रति या उनके किसी भाग की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजेगा।

(3) निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व, न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि निर्दिष्ट स्थल या दूरस्थ स्थल पर नियुक्त समन्वयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वे सभी दस्तावेज़ या उनके किसी भी भाग की प्रतियाँ प्राप्त हों, जो साक्ष्य के अभिलेखन अथवा गवाहों के संदर्भ हेतु अपेक्षित हों। हालाँकि, समन्वयक केवल न्यायालय की अनुमति से ही वांछित व्यक्ति द्वारा ऐसे दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग करने की अनुमति देगा।

(4) जब भी आवश्यकता हो, न्यायालय दूरस्थ स्थल या न्यायालय स्थल पर उपस्थित समन्वयक को निम्नलिखित उपलब्ध कराने का आदेश करेगा-

(क) कोई अनुवादक, यदि गवाही देने वाला व्यक्ति न्यायालय की कार्यालयी भाषा से परिचित न हो;

(ख) कोई सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ, यदि गवाही देने वाला व्यक्ति बोल व/या सुन नहीं सकता हो;

(ग) कोई दुभाषिया या विशेष शिक्षक, जैसी भी स्थिति हो, यदि गवाही देने वाला व्यक्ति स्थायी या अस्थायी रूप से दिव्यांग हो;

(घ) दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति, यदि गवाही देने वाला व्यक्ति दृष्टिवाधित है।

अध्याय IV

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया

11. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से पेश होना :-

- आपराधिक मामलों में, कार्यवाही से सम्बंधित कोई पक्षकार अथवा गवाह न्यायालय के आदेश पर या लोक अभियोजक के अनुरोध पर प्रारंभ की गई कार्यवाही के सिवाय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति या कार्यवाही का अनुरोध कर सकता है। (अनुसूची-II)
- सिविल मामलों में, न्यायालय स्व-विवेकानुसार या किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, किसी भी मामले की सुनवाई प्रक्रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से आरम्भ कर सकता है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय भी निर्धारित कर सकता है।
- कोई अधिवक्ता निवेदन प्रस्तुत करने या साक्षियों की गवाही के लिए अधिवक्ता के दूरस्थ स्थल से उपस्थित हो सकता है।
- जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही का संचालन मौखिक निवेदन करने हेतु किया गया है तो ऐसे आदेश में अधिवक्ता या स्वयं पक्षकार द्वारा लिखित तर्कों व पूर्व निर्णयों, यदि कोई हो, को अग्रिम में दिया जाना अपेक्षित हो सकता है।

12. आदेशिकाओं की तारीख :-

साक्षी जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही होनी है, को जारी की गई आदेशिका में, दिनांक, समय व सम्बंधित निर्दिष्ट स्थान के स्थल का उल्लेख होगा तथा साक्षी को पहचान-पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश होगा। यदि किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट दस्तावेज के सन्दर्भ में गवाही होनी है तो साक्षी को जारी की गई आदेशिका के साथ दस्तावेज की एक प्रति भी होगी, जब तक कि यह प्रति-परीक्षण न हो :

बशर्ते कि इस नियम में कुछ भी न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक संचार या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सुनवाई के संचालन, जांच और कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा।

13. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से व्यक्तियों और साक्षियों की गवाही :-

(1) वह व्यक्ति जिसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से होनी है, उसकी गवाही सामान्यतः संबंधित न्यायालय के कार्य समय के दौरान या ऐसे समय पर की जाएगी, जिसे न्यायालय उचित समझे।

(2) जहां गवाही देने वाला व्यक्ति अभियुक्त है, वहां न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले और बाद में उसके अधिवक्ता से परामर्श करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) न्यायालय, साक्षी को दर्ज की गई गवाही पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा तथा गवाही समाप्त होने के तुरंत बाद प्रतिलेख पर गवाही देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित प्रतिलेख न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख का हिस्सा होगा। गवाही देने वाले व्यक्ति के प्रतिलेख पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से प्राप्त किए जाएँगे

-

(क) यदि डिजिटल हस्ताक्षर दोनों, संबंधित न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल पर उपलब्ध हैं, तो न्यायालय स्थल पर पीठासीन अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिलेख को निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या आधिकारिक ई-मेल द्वारा दूरस्थ स्थल के समन्वयक को भेजा जाएगा, जहां उसका प्रिंटआउट लिया जाएगा और गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिलेख की एक स्कैन प्रतिलिपि को न्यायालय स्थल पर निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या आधिकारिक ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा;

(ख) यदि डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं, तो प्रतिलेख के प्रिंटआउट को न्यायालय स्थल पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसे दूरस्थ स्थल पर समन्वयक के ई-मेल या निर्दिष्ट स्थान के आधिकारिक ई-मेल अकाउंट या निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा अपरिवर्तनीय स्कैन प्रारूप में भेजा जाएगा, जहां इसका एक प्रिंटआउट लिया जाएगा और उस पर गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँगे और इस पर दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा प्रति-हस्ताक्षर किया जाएगा। इस हस्ताक्षरित प्रतिलेख की एक अपरिवर्तनीय स्कैन प्रारूप की प्रति को, दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा आधिकारिक ईमेल या निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय स्थल पर भेजा जाएगा, जहां इसका प्रिंटआउट लिया जाएगा और इसे न्यायिक अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा। यदि प्रिंट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो दूरस्थ स्थल समन्वयक के पर्यवेक्षण में आईपैड/टैब जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर हस्ताक्षर की अनुमति होगी। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्बद्ध हस्ताक्षर के बाद, दूरस्थ स्थल समन्वयक पीठासीन न्यायाधीश को प्रतिलेख की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजेगा।

(4) न्यायालय, गवाही देने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से, गवाही देने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर, गवाही देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए विभिन्न पहलु जैसे कि आयु, लिंग, शारीरिक स्थिति और मान्यता प्राप्त रीति-रिवाज और परम्पराओं को ध्यान में रखकर, उचित कदम उठाने का निर्देश दे सकता है।

(5) निर्दिष्ट स्थान पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ स्थल पर गवाही देने वाला व्यक्ति तथा जिनकी उपस्थिति समन्वयक प्रशासनिक रूप से कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक समझे, के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उपस्थित न हो।

(6) न्यायालय ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकेगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से मामलों की प्रभावी सुनवाई के लिए आवश्यक हों।

(7) यदि न्यायालय उचित समझे तो वांछित व्यक्ति को निवास स्थान या कार्यस्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों के माध्यम से जुड़ने की अनुमति दी जा सकती है: वशर्तें कि किसी साक्षी की गवाही केवल निर्दिष्ट स्थान से ही दर्ज की जाएगी, एतदपश्चात उल्लिखित परिस्थितियों को छोड़कर।

(8) जहां वांछित व्यक्ति बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण न्यायालय स्थल या निर्दिष्ट निर्धारित स्थान पर पहुंचने में सक्षम नहीं है, या उसकी उपस्थिति बिना अनुचित विलंब या व्यय के संभव न हो, तो न्यायालय उस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन करने की अनुमति दे सकता है जहां ऐसा व्यक्ति स्थित हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय,

जैसा कि वह उचित समझे, पोर्टेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के उपयोग का निर्देश या उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है।

(9) जहां न्यायालय की यह राय है कि, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, साक्षी की गवाही प्रभावी ढंग से दर्ज नहीं की जा सकती है, वहां वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे साक्षी की गवाही करने से इंकार कर सकता है।

14. दूरस्थ स्थल पर गवाह या अभियुक्त को दस्तावेज दिखाना या प्रदर्शित करना :-

यदि दूरस्थ स्थल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किसी व्यक्ति की गवाही के दौरान उसे कोई दस्तावेज दिखाना आवश्यक हो तो न्यायालय निम्नलिखित तरीके से दस्तावेज दिखाने की अनुमति दे सकता है:

(क) यदि दस्तावेज न्यायालय स्थल पर है, तो दस्तावेज को डॉक्युमेंट विज़ुअलाइज़र के माध्यम से भेजकर;

(ख) यदि दस्तावेज न्यायालय स्थल पर है, लेकिन डॉक्युमेंट विज़ुअलाइज़र उपलब्ध नहीं है, तो दस्तावेज की एक प्रतिलिपि या छायाचित्र को निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूरस्थ स्थल पर प्रेषित करके;

(ग) यदि दस्तावेज दूरस्थ स्थल पर है, तो दस्तावेज की एक प्रतिलिपि या छायाचित्र को निर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यायालय स्थल तक भेजकर। निर्दिष्ट स्थान पर गवाह और समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दस्तावेज की हार्ड कॉपी भी न्यायालय स्थल पर भेजी जाएगी।

15. निर्बाध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनिश्चित करना :-

(1) न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक अधिवक्ताओं या वांछित व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का लाइव लिंक उपलब्ध कराएगा।

(2) यदि कार्यवाही दूरस्थ स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से की जाती है, तो ऐसे दूरस्थ स्थल पर समन्वयक, यदि कोई हो, सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(3) न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक संबंधित अधिवक्ता या वांछित व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तथा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक सफल सुनवाई के संचालन के लिए तकनीकी तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में मार्गदर्शित करेंगे। ऐसे अधिवक्ता या वांछित व्यक्ति के समक्ष आने वाली किसी भी समस्या का समाधान न्यायालय स्थल पर समन्वयक द्वारा किया जाएगा।

(4) न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिवक्ता या वांछित व्यक्ति द्वारा ईमेल किया गया कोई भी दस्तावेज या ऑडियो-विज़ुअल फाइलें न्यायालय स्थल पर विधिवत प्राप्त हों।

16. रिमांड :-

न्यायालय, अपराध के किसी आरोपी व्यक्ति को, BNSS की धारा 187 के प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में रखने को अधिकृत कर सकता है:

बशर्ते कि यदि अभियुक्त पहले से उसी न्यायालय की या किसी अन्य न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा में हो, या सजायापता हो, तो न्यायालय उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से BNSS की धारा 346(2) के तहत जाँच या विचारण के दौरान पुनः रिमांड पर भेज सकता है।

17. सौदा अभिवाक़ :-

न्यायालय BNSS के अध्याय XXIII के अंतर्गत अभिवाक़ सौदे के प्रयोजन हेतु ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के तरीकों का भी उपयोग कर सकता है।

18. ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्यवाही का अभिलेखन :-

जहां कहीं भी न्यायालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत ऑडियो-विज़ुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कोई कार्यवाही की जाती है, तो न्यायालय आदेश पत्र में यह उल्लेख करेगा कि सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

अध्याय V
सामान्य प्रक्रिया

19. सामान्य प्रक्रिया :-

- (1) इस अध्याय में एतदपश्चात वर्णित प्रक्रिया इन नियमों में कहीं भी इंगित प्रक्रिया के प्रति किसी भी पक्षपात के बगैर है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से कार्यवाही संचालित होती है।
- (2) न्यायालय स्थल पर मौजूद समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आयोजित की जाएः-

बशर्ते कि तकनीकी खराबी की स्थिति में या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, न्यायालय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उस विशेष कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे सकता हैः

बशर्ते यह भी कि इन नियमों में निहित कुछ भी न्यायालय को, लिखित रूप में अपने कारणों को अभिलेखित करने के बाद, मामलों की सुनवाई को इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुविधाजनक बनाने हेतु निर्धारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर या ऑडियो-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधन का उपयोग करने से नहीं रोकेगा।

- (3) आपराधिक मामलों में, जहां गवाही देने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष या न्यायालय का गवाह है, या बचाव पक्ष का गवाह है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभियोजन पक्ष के लिए निवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बचाव पक्ष के लिए निवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष या अभियुक्त के लिए अधिवक्ता, जो भी हो, ऐसे व्यक्ति के स्थान तथा ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए समय, स्थान और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के बारे में न्यायालय को पुष्टि करेगा।
- (4) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है और न्यायालय स्थल पर उपस्थित नहीं है तो न्यायालय चिकित्सीय अथवा अन्य विशेषज्ञ सहित गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग को सुगम बनाने के लिए न्यायालय स्थल, गवाहों के तथा अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त के बीच एक बहु-स्थलीय वीडियो कॉन्फ्रेंस का आदेश देगा।

20. कार्यवाही का संचालन :-

- (1) सभी अधिवक्ता, वांछित व्यक्ति, स्वयं पक्षकार या न्यायालय द्वारा शारीरिक या आभासी तौर पर उपस्थित रहने के लिए अनुमत कोई भी अन्य व्यक्ति (एतदपश्चात सामूहिक रूप से “प्रतिभागी” के रूप में उल्लिखित) अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे। हालाँकि, यदि कोई प्रतिभागी अपना चेहरा या नाम छिपाने का इच्छुक हो तो न्यायालय की स्वीकृति हेतु इस आशय की सूचना कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व न्यायालय स्थल समन्वयक को दी जाएगी।
- (2) सभी अधिवक्ता, वांछित व्यक्ति, स्वयं पक्षकार और/या न्यायालय द्वारा शारीरिक या आभासी रूप से उपस्थित रहने के लिए अनुमत कोई भी अन्य व्यक्ति (एतदपश्चात सामूहिक रूप से “प्रतिभागी” के रूप में उल्लिखित) अनुसूची-I में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे।
- (3) न्यायालय स्थल समन्वयक न्यायालय में आभासी तौर पर उपस्थित होने के लिए अनुमत प्रतिभागियों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर लाइव लिंक भेजेंगे। कार्यवाही के एक बार आरम्भ होने के पश्चात, किसी अन्य व्यक्ति को आभासी सुनवाई में भाग लेने की मंजूरी न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं मिलेगी।
- (4) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में भाग लेना प्रतिभागियों द्वारा कार्यवाही को रिकॉर्ड किए जाने की सहमति माना जाएगा।
- (5) न्यायालय स्थल और दूरस्थ स्थल के बीच लिंक का स्थापन और वियोजन न्यायालय के आदेशानुसार नियंत्रित होगा।

(6) न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करेगा कि अधिवक्ता, वांछित व्यक्ति अथवा कोई अन्य प्रतिभागी जिसे न्यायालय दूरस्थ स्थल अथवा न्यायालय स्थल पर आवश्यक समझे उसे स्पष्ट रूप से देखा और सुना जा सकता है तथा वह भी न्यायालय को स्पष्टतः देख और सुन सकता है।

(7) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने हेतु सम्पर्क में यदि समस्याएँ सामने आएँ तो उन्हें जल्द से जल्द न्यायालय स्थल समन्वयक के मोबाइल नंबर के माध्यम से न्यायालय की जानकारी में लाना होगा जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होने से पूर्व ही प्रतिभागी को उपलब्ध कराया गया था।

21. मामले के तृतीय पक्षकार :-

- (1) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तीसरे पक्षकार को उपस्थित रहने की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए। हालाँकि, वे निष्क्रिय भागीदार होंगे और उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना कोई निवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
- (2) यदि किसी कारणवश मामले से सम्बन्ध न रखने वाला कोई व्यक्ति दूरस्थ स्थल पर उपस्थित होता है तो कार्यवाही के प्रारंभ करने के समय उस व्यक्ति की पहचान दूरस्थ स्थल के समन्वयक द्वारा की जाएगी और उस व्यक्ति की उपस्थिति के उद्देश्य के बारे न्यायालय को बताया जाएगा। ऐसा व्यक्ति केवल न्यायालय की अनुमति से ही उपस्थित रह सकता है।

22. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का खर्च :-

संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अभाव में, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खर्च को निर्धारित और/या आवंटित करते समय निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कर सकता है:

- क) न्यायालय के अभिलेख की सॉफ्ट प्रतियाँ/ प्रमाणित प्रतिलिपियाँ तैयार करने पर आने वाले खर्च सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का खर्च और दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक को इन्हें भेजने का खर्च तथा मामले के अनुसार अनुवादक/ भाषांतरकार/ विशेष शिक्षक तथा दूरस्थ स्थल पर मौजूद समन्वयक को देय शुल्क न्यायालय के निर्देशनासर पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त पक्षकार, शिकायतकर्ता एवं गवाहों पर आने वाले खर्च के भुगतान के सम्बन्ध में समय-समय पर विद्यमान नियम/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए खर्चों के सम्बन्ध में न्यायालय जैसा उचित समझे आदेश दे सकता है।
- ग) परिस्थिति अनुसार खर्चों को माफ़ करने के निर्णय के लिए न्यायालय स्वतंत्र होगा।

23. विधिक सहायता केंद्र/शिविर/लोक अदालत/ जेल अदालत तक पहुँच :-

- (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों और प्रवृत्त विधियों के अनुरूप विधिक सहायता केंद्र/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत से संबंधित कार्यवाहियों में, कोई भी व्यक्ति जो दूरस्थ स्थल पर जेल या कारागार में है, उसकी गवाही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव अथवा लोक अदालत के सदस्यों द्वारा कानून के अनुसार कोई भी अधिनिर्णय अथवा आदेश देने से पूर्व की जाएगी।
- (ख) ऐसे अधिनिर्णय अथवा आदेश का वही प्रभाव होगा जैसा कि उसे नियमित लोक अदालत या जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।
- (ग) अधिनिर्णय अथवा आदेश की प्रति तथा कार्यवाहियों के अभिलेख दूरस्थ स्थल पर भेजे जाएँगे।

24. उन व्यक्तियों को कार्यवाही देखने की अनुमति प्रदान करना जो मामले के पक्षकार नहीं हैं :-

न्यायालय की खुली कार्यवाहियों की जरूरत के पालन हेतु, जनता के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायालय की सुनवाई देखने की अनुमति होगी, सिवाय उन कार्यवाहियों के जिनमें बंद कमरे में सुनवाई के आदेश के लिखित में

कारण दिए हैं। कार्यवाहियों को देखने हेतु न्यायालय खुला लिंक या पर्याप्त संचया में लिंक उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा (उपलब्ध बैंडविड्थ के अनुरूप)।

अध्याय VI

विविध

25. छूट देने की शक्ति:-

यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट हो कि किसी नियम का संचालन अनुचित कठिनाई उत्पन्न कर रहा है तो वह आदेश द्वारा, उस सीमा तक तथा ऐसी शर्त के अध्यधीन उन नियमों को हटा देंगे अथवा उनमें छूट देंगे जैसा कि मामले को न्यायसंगत और साम्पूर्ण तरीके से निपटाने के लिए अनुबंधित हो।

26. अवशिष्ट प्रावधान :-

इन नियमों में जिन मामलों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं उन्हें न्याय हित को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

27. निरसन एवं व्यावृत्तियां :-

- (1) न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) निरसन के बावजूद, न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के प्रावधान निम्न पर लागू होंगे:
 - (क) इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले आरम्भ हुए कार्य तथा कार्यवाहियाँ।
 - (ख) न्यायालयों हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के अंतर्गत प्रकाशित/जारी सभी अधिसूचना/आदेश, जहाँ तक कि वे इन नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, इन नियमों के अंतर्गत जारी समझे जाएंगे।

अनुसूची ।

1. सभी प्रतिभागियों को कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप सादे वस्त्र पहनने होंगे। अधिवक्ताओं को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित व्यवसायी वस्त्र उचित रूप से पहनने होंगे। पुलिस अधिकारी संबंधित कानून या आदेशों के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित वर्दी में उपस्थित होंगे। न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के वस्त्र उच्च न्यायालय द्वारा उस संबंध में निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार होंगे। ड्रेस कोड के बारे में पीठासीन न्यायाधीश या अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
2. कार्यवाही नियत तिथि और समय पर की जाएगी। समय की पाबंदी का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
3. न्यायालय के निर्देश के अनुसार मामले को पुकारा जाएगा और उपस्थिति दर्ज की जाएगी।
4. प्रत्येक प्रतिभागी को भौतिक न्यायालय में अपनाए जाने वाले शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। न्यायाधीशों को "मैडम/सर" या "योर ऑनर" कहकर संबोधित किया जाएगा। अधिकारियों को उनके पदनाम जैसे "कोर्ट मास्टर" से संबोधित किया जाएगा। अधिवक्ताओं को "विद्रान अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता" के रूप में संबोधित किया जाएगा।
5. अधिवक्ता(गण), अपेक्षित व्यक्ति(गण), पक्षकार स्वयं और अन्य प्रतिभागी तब तक अपने माइक्रोफोन बंद रखेंगे जब तक उन्हें निवेदन हेतु नहीं बुलाया जाता।
6. दूरस्थ उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके उपकरण मैलवेयर से मुक्त हों।

7. न्यायालय/न्यायाधिकरण के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने वाले प्रत्येक अधिवक्ता को अधिवक्ता के दूरस्थ स्थान से ही शामिल होना होगा। अधिवक्ताओं द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वे न्यायालय की अनुमति के साथ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर मोबाइल फोन, सार्वजनिक स्थलों, वाहनों या न्यायालय के गलियारों से न जुड़ें, विशेष रूप से लंबी बहस को संबोधित करने के लिए।
8. दूरस्थ प्रयोक्ता तथा दूरस्थ स्थल पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरस्थ स्थल शांत स्थान पर स्थित हो, उचित रूप से सुरक्षित हो तथा जहाँ पर्याप्त इंटरनेट सुविधा हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित बाधा आने पर, यदि पीठासीन न्यायाधीश ऐसा निर्देश देते हैं, तो कार्यवाही को शून्य माना जाएगा।
9. कार्यवाही के दौरान सभी प्रतिभागियों के मोबाइल फोन बंद रहेंगे या एयरप्लेन मोड में रहेंगे।
10. सभी प्रतिभागी कार्यवाही के दौरान कैमरे में देखने का प्रयास करेंगे, सतर्क रहेंगे और किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
11. सभी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायिक कार्यवाही की मर्यादा बनाए रखने के लिए पीछे से किसी प्रकार का कोई शोर, अनावश्यक हलचल न हो और व्यवधानों को कम से कम किया जाए।
12. आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने, अपमानजनक व्यवहार करने या न्यायिक निर्देशों का पालन न करने पर सत्र से तत्काल निष्कासन और संभावित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
13. इन आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिभागी को म्यूट करने या हटाने का विवेक केवल न्यायालयों के पास है।

अनुसूची ॥

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अन्तर्रोध प्रपत्र

1. वाद सं/सी.एन.आर संख्या (यदि कोई हो): _____
2. वाद का शीर्षक: _____
3. कॉन्फ्रेंस की प्रस्तावित तिथि (DD/MM/YYYY): _____
4. न्यायालय स्थल का स्थान : _____
5. दूरस्थ स्थल का स्थान : _____
6. दूरस्थ स्थल पर प्रतिभागीगण के नाम तथा पद: _____
7. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण: _____
के मामले में:
8. कार्यवाहियों की प्रवृत्ति: अंतिम सुनवाई समावेदन की सुनवाई

मैंने न्यायालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के प्रावधानों को पढ़ एवं समझ लिया है (हाइपरलिंक)। मैं इनके प्रति बाध्य रहने का वचन देता हूँ जहां तक वे मुझ पर लागू हैं। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुल्क देने की सहमति देता हूँ, यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर / प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता :

ତିଥି-

क) नियत न्यायपीठ :

ख) सुनवाई:

तिथि (DD/MM/YYYY):

प्रारंभ होने का समय:

समाप्ति का समय:

कुल समय:

ग) लागत:

विदेश भेजने का शुल्क, यदि हो:

आवेदक/प्रत्यर्थी द्वारा वहन:

समान रूप से वहन:

न्यायालय के आदेशानुसार माफी:

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:

तिथि:

रजिस्ट्री / न्यायालय स्थल समन्वयक के उपयोग हेतु

न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महानिवंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2025

Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025

Preface

No. 36/Rules/DHC.— WHEREAS, it is expedient to consolidate, unify and streamline the procedure relating to electronic evidence and video conferencing for Courts.

WHEREAS, it is expedient to formalise and enable use of electronic communication and other audio-video electronic means for the purpose of conducting trial, inquiry and proceedings under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

WHEREAS, the BNSS under section 54, 63, 64, 70, 71, 94, 154, 183, 187, 193, 209, 227, 230, 231, 251, 254, 262, 265, 266, 308, 310, 316, 336, 355, 356, 392, and 530 recognizes use of audio-video electronic means and other forms of electronic communication for different proceedings.

WHEREAS, Section 530 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) provides that all trials, inquires and proceedings under this Sanhita, including examination of complainant and witnesses, recording of evidence in inquiries and trials and all appellate proceedings or any other proceeding, may be held in electronic mode, by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.

WHEREAS, under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), The Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016) read with the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018, recording of evidence through electronic means and conduct of proceedings through video conferencing is fully recognized in all civil proceedings, commercial cases before the Delhi High Court and the District Courts.

WHEREAS, Courts in Delhi have been using video conferencing as a mode of conducting inquiries and trials in civil as well as criminal proceedings under the extant Video-Conferencing Rules dated 26.10.2021 notified in the Gazette on 26.10.2021.

In exercise of the powers conferred by Articles 225 and 227 of the Constitution of India, Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966, and all other enabling sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, makes the following Rules:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, Application and Commencement. -

- (1) These Rules shall be called "The Electronic Evidence and Video Conferencing Rules, 2025".
- (2) They shall apply to the High Court, all District Courts and tribunals over which the High Court of Delhi has jurisdiction and to all judicial, departmental and mediation proceedings in pending cases.
- (3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "**Advocate**" means and includes an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall for the purpose of these rules include prosecuting officers and government pleaders;
 - (b) "**Advocate's remote point**" means a place from where an advocate or advocates may appear through a live link and shall include advocate's chamber or office or a place notified by the Bar for video conferencing;
 - (c) "**Commissioner**" means a person appointed as commissioner under the provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or any other law for the time being in force;
 - (d) "**Coordinator**" means a person nominated as coordinator under Rule 5;
 - (e) "**Court**" includes a physical court and a virtual court or a tribunal;
 - (f) "**Court point**" means the courtroom or the place where the court is physically convened, or the place where commissioner or an inquiry officer holds proceedings pursuant to the directions of the court;
 - (g) "**Court room**" means the place or room or enclosed space in which court proceedings are held;
 - (h) "**Designated Place**" means any one or more places specified where the facilities are made available for use of electronic communication or use of audio-video electronic means with courts points and shall include Vulnerable Witness Deposition Centre from where evidence of such witnesses may be recorded;
 - (i) "**Designated Video Conferencing Software**" means a software approved by the High Court of Delhi/concerned department for use of video conferencing or other audio-video electronic communication;
 - (j) "**High Court**" means the High Court of Delhi;
 - (k) "**Live link**" means and includes a live link for audio-video electronic communication or other arrangements whereby a witness, an accused, party, advocate or any other person is required by Court to remain present virtually in the court room by use of electronic communication or use of audio-video electronic means,
 - (l) "**Remote Point**" means a place where any person is required to be present or appear through a live link and includes designated place from where submissions may be made before the Court but does not include Advocate's remote point,
 - (m) "**Remote User**" means a user participating in court proceedings through video conferencing at a designated place or advocate's remote point;
 - (n) "**Required Person**" includes:
 - (i) a person who is to be examined as a witness, complainant or otherwise; or
 - (ii) person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted including an accused; or
 - (iii) an advocate or a party in person; or
 - (iv) any person including victim who is required to make submissions before the Court; or

(v) any other person who is permitted by the Court to appear through video conferencing or other modes of audio visual electronic communication;

(o) "Rules" shall mean these rules and any reference to a rule or sub-rule shall be a reference to a rule or sub-rule of these rules;

(2) The words and phrases used but not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in the Delhi High Court Rules; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS); Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA); Code of Civil Procedure, 1908 (CPC), The Commercial Courts Act, 2015 (CCA, 2015), Information Technology Act, 2000 (IT Act) and the General Clauses Act, 1897.

3. Construction of references.-

(1) Unless the context otherwise requires, any reference to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in these Rules shall include reference to Code of Criminal Procedure, 1973 under the corresponding provisions.

Chapter II

General Principles-1

Implementation of Video Conferencing under BNSS Provisions:

4.1. Electronic Hearings (BNSS Section 530)

All trials, inquiries, and proceedings may be conducted by use of electronic communication or use of audio-video electronic means, including:

- Examination of complainants and witnesses
- Collection and preservation of evidence
- Recording of evidence
- Appellate and other judicial proceedings

4.2. Appearance via Video Conferencing (BNSS Sections 154, 355)

Persons required to appear before the court may do so via video conferencing, including cases where the accused is absent.

4.3. Accused in Judicial Custody (BNSS Section 187)

Accused persons may be presented before the court via video conferencing, except for the first appearance, which requires physical presence.

4.4. Framing of Charges (BNSS Section 251)

Charges may be read and explained to the accused through video conferencing, with their plea recorded electronically.

4.5. Evidence of Witnesses (BNSS Sections 254, 265, 266, 310, 356)

Witness testimonies and depositions may be recorded via audio-video means in designated locations.

4.6. Deposition of evidence of any police officer or public servants (BNSS Section 254)

Testimonies of public servants may be recorded electronically to expedite legal proceedings.

4.7. Discharge of Accused (BNSS Section 262)

Courts may examine the accused via electronic means before granting discharge.

4.8. Examination of Accused in Custody (BNSS Section 316)

Accused persons in custody may be examined electronically, with signature verification required within 72 hours.

4.9. Evidence from Public Servants, Experts and police officers (BNSS Section 336)

Public officials, forensic experts, and police officers may provide evidence via video conferencing.

4.10. Judgment Pronouncement (BNSS Section 392)

Accused persons in custody may hear their judgment via video conferencing.

4.11. Presence of Accused during Evidence Recording (BNSS Section 308)

Accused persons shall be present, either physically or via video conferencing, during the recording of evidence.

Chapter III

General Principles -2

5. General Principles Governing Video Conferencing and other modes of Audio- video electronic communication

Subject to the provisions hereinafter contained, video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the Court, where a person who is required to be present or appear is not physically present in the court room:

- (i) All proceedings conducted by a Court via video conferencing and other modes of audio visual electronic communication shall be judicial proceedings and all parties shall maintain decorum and protocols applicable to these proceedings;
- (ii) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including provisions of BNSS, Code of Civil Procedure, 1908, CCA, 2015, Contempt of Courts Act, 1971, Bharatiya Sakhya Adhiniyam, 2023 and IT Act, shall apply to proceedings conducted by video conferencing;
- (iii) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings, and subject to such directions as the High Court may issue, Courts may adopt such technological advances as may become available from time to time;
- (iv) Courts shall use only High Court/government approved and secure video conferencing platforms equipped with end-to-end encryption to protect data and privacy;
- (v) Any unauthorized access, hacking attempts, or security breaches shall be reported immediately and addressed in accordance with the law;
- (vi) The Rules as applicable to a Court shall *mutatis mutandis* apply to a Commissioner appointed by the Court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry;
- (vii) Unless expressly permitted by Court, no person, either at Court Point or at designated place or at Remote Point or Advocate's Remote Point, shall record or publish the proceedings or any part thereof, conducted by video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication;
- (viii) There shall be no unauthorized recording of the proceedings by any person or entity.

6. Identification of person appearing through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication.-

The person defined in rule 2(1)(n) shall provide an identity proof as recognized by the Government of India or State Government to the Court Point coordinator by electronic communication. In case, identity proof is not readily available, the Court may, upon satisfaction allow such person to participate in proceedings without production of identity proof.

7. Facilities recommended for Video Conferencing

- (i) Each courtroom shall be equipped with a video conferencing facility to enable seamless connectivity with stakeholders. This integration will eliminate the need to move to a separate dedicated room for virtual hearings, ensuring efficiency, saving time, and enhancing judicial proceedings.
- (ii) A dedicated and exclusive video conferencing center shall be established promptly at each district level.
- (iii) A dedicated space for video conferencing shall be established within police stations, prisons, prosecution offices, forensic departments, and other designated places.

The following equipments are recommended for conducting proceedings by video conferencing at the Court Point and the Remote Point:

- (i) Desktop, laptop, All-in-one or any other display or projection mechanism;
- (ii) High speed internet connectivity;
- (iii) LAN/ Wi-Fi set-up;
- (iv) Video equipments including high resolution cameras;
- (v) Audio equipments including microphones and speakers;
- (vi) Secured Video conferencing software with capability of multiple users through login mechanism;
- (vii) Transcription software and court approved recording mechanism;

- (viii) Adequate storage options through server or cloud;
- (ix) IT support and maintenance; and
- (x) Power back-up either through UPS and/ or through generators.

8. The designated video conferencing software to be procured by High Court shall facilitate following minimum requirements:-

- (i) an online, real-time collaboration software with features like video, voice, screen sharing, document sharing, presentation, recording etc.
- (ii) the solution shall have a whiteboard for flashing messages and recording meetings or sessions.
- (iii) the complete access log of the different users with extended reports, including IP/Device details/Application details, shall be provided with each meeting room.
- (iv) the platform shall be hosted on an India-based data centre with a 100% Disaster recovery site.
- (v) the platform shall offer cross-platform functionality, ensuring seamless operation across various operating systems, including Windows, Linux, macOS, IOS etc., to accommodate diverse technology ecosystems of all participants and guarantee a consistent user experience regardless of the operating system used.
- (vi) the platform shall be scalable to multi point connectivity with 500 user logins at a time.
- (vii) the platform shall provide private and confidential Breakout rooms; between multiple users.
- (viii) the platform may be capable of open hearing concept and/ or synchronizing and scheduling with cause list of cases by advocates with or without waiting lobby and automatic pulling according to the cause list.
- (ix) the platform shall provide master control facility at Court's end, recording and archiving facility at court point, server or cloud.
- (x) the platform shall provide audit trail facility of the proceedings and also provision of a firewall.

9. Appointment of Coordinators.-

- (1) There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the designated place from where any required person is to be examined or heard or is directed to remain present. However, coordinator may be required at the remote point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined;
- (2) In all the Courts, one or more persons nominated by the High Court or by the Principal District and Sessions Judge concerned within whose jurisdiction the respective Court is located, shall perform the functions of the coordinators at the designated place.
- (3) The Court may appoint any court official as a coordinator at the Court Point.
- (4) The coordinator at the designated place may be any of the following:

Sub Rule	Where the Advocate or Required Person is at the following Point:-	The Remote Point Coordinator shall be:-
9.(4).1	Overseas	An official of an Indian Consulate/the relevant Indian Embassy/the relevant High Commission of India;
9.(4).2	Court of another State or Union Territory of India	Any authorized official nominated by the concerned Principal District and Sessions Judge;
9.(4).3	Mediation Centre or office of District Legal Services Authority	Any authorized person/official nominated by the Chairperson or Secretary of the concerned District Legal Services Authority or the Incharge of the Mediation Centre;
9.(4).4	Jail or prison	The concerned Jail Superintendent or Officer-in-charge of the prison;
9.(4).5	Hospitals administered by the Central Government, the State Government of local bodies	Medical Superintendent or an official authorized by them or the person in charge of the said hospital;
9.(4).6	Observation Home, Special Home, Children's Home, Shelter Home, or any institution referred to as a Child Care Institution and where the Required Person is a child in conflict with law or a child or a person who is an inmate of such Child Care Institution.	The Superintendent or Officer in charge of that Child Care Institution or an official authorized by them;
9.(4).7	Women's Rescue Homes, Protection Homes, Shelter Homes, Nari Niketans or	The Superintendent or Officer-in-charge of the women's facility or an official authorized by them;

	any institution referred to as a women's facility (collectively referred to as women's facilities).	
9.(4).8	In custody, care or employment of any other government office, organization or institution (collectively referred to as institution facilities).	The Superintendent or Officer-in-charge of the institution facility or an official authorized by them;
9.(4).9	Forensic Science Lab	The Administrative officer- in-charge or their nominee;
9.(4).10	In case of any other location	The concerned Court may nominate any public servant or public official of the concerned department to render services as a Coordinator to ensure that the proceedings are conducted in a fair, impartial and independent manner and according to the directions issued by the Court in the behalf.

(5) Notwithstanding the provisions of Clause 3.4.1, where witness examination is to take place in a criminal case of a person located outside the country, the provisions of the BNSS 2023 (Section 110 and Chapter 8) and "Comprehensive Guidelines for investigation abroad and issue of Letters Rogatory (LRs)/Mutual Legal Assistance (MLA) Request and Service of Summons Notices/ Judicial documents in respect of Criminal Matters prevailing at that time" will be followed to the extent they comport with the provisions of the BNSS and BSA.

10. Preparatory arrangements.-

- (1) The coordinator at the designated place/remote point shall ensure that:
 - (a) the required persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the remote point/designated place for video conferencing well before the scheduled time;
 - (b) no unauthorized recording device is used;
 - (c) no unauthorized person enters the remote point or designated place when the video conference is in progress;
 - (d) the person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the permission of the Court concerned during the course of examination.
- (2) Where the witness to be examined through video conferencing or other audio-visual electronic communication requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and in appropriate cases may provide the copies of all or any part of the relevant documents in electronic form to the coordinator of the concerned remote point.
- (3) Before the scheduled video conferencing, the Court shall ensure that the coordinator at the designated place or remote point receives in electronic form, copies of all or any part of the documents which may be required for recording of evidence, or for reference of the witness. However, coordinator shall allow such documents in electronic form to be used by the required person only with the permission of the Court.
- (4) Whenever required, the Court shall order the coordinator at the remote point or at the court point to provide-
 - (a) a translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the court;
 - (b) an expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing;
 - (c) an interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled, either temporarily or permanently;
 - (d) a person for reading of documents in case the person to be examined is visually challenged.

CHAPTER IV

PROCEDURE FOR VIDEO CONFERENCING

11. Appearance through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication.-

- (1) In criminal cases, any party to the proceedings or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the Court or on request of public prosecutor, may move a request for presence and proceedings through video conferencing. (SCHEDULE - II)

- (2) In civil cases, the court may, as its discretion or on request of any of the parties, initiate process for hearing of any case through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication.
- (3) While allowing a request for video conferencing, the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.
- (4) An advocate may appear from advocate's remote point for making submissions or for examination of witnesses.
- (5) Where video conferencing proceedings are conducted for making oral submissions, the order may require the advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance.

12. Service of processes.-

Processes issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned designated place and shall direct the witness to attend in person alongwith proof of identity. If a person is examined with reference to a particular document, then the process to witness shall be accompanied by a copy of the document, except if it is a cross-examination:

Provided that nothing in this rule shall preclude a court from conducting trials, inquiries and proceedings in electronic mode, by use of electronic communication or use of audio-video electronic means.

13. Examination of persons and witnesses through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication

(1) The person being examined through video conferencing and other modes of audio-visual electronic communication shall ordinarily be examined during the working hours of the court concerned or at such time as the court may deem fit.

(2) Where the person being examined is an accused, the court shall provide adequate opportunity to consult with his advocate before and after the video conferencing.

(3) The Court shall read over and explain the evidence recorded to the witness and obtain the signature of the person being examined on the transcript immediately after the examination is concluded. The signed transcript shall form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways.-

(a) If digital signatures are available at both the concerned Court Point and remote point, the copy of the transcript digitally signed by the presiding officer at the Court Point shall be sent by the designated video conferencing software or official e-mail to the coordinator at remote point where a print out of the same shall be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally signed by the coordinator at the remote point shall be transmitted by the designated video conferencing software or official e-mail of the Court Point;

(b) If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the Presiding Judge, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format by the designated video conferencing software or official e-mail account of the designated place or e-mail of the coordinator at remote point where a printout of the same shall be taken and signed by the person examined and countersigned by the coordinator at the remote point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the coordinator at the remote point by the designated video conferencing software or official e-mail to the Court Point where a print out of the same shall be taken and shall be made a part of the judicial record. If printing facilities are not available, signature on an electronic device such as iPAD/Tab under the supervision of the Remote Point Coordinator would be permissible. After such electronically affixed signature, the Remote Point Coordinator shall send a duly certified copy of the transcript to the Presiding Judge.

(4) The court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interest of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.

(5) The coordinator at the designated place shall ensure that no person is present at the remote point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the coordinator for the proceedings.

- (6) The court may also impose such other conditions as are necessary for effective hearing of cases through video conferencing and other modes of audio-video electronic communication.
- (7) If the court thinks fit, the required person may be permitted to connect through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication from the place of residence or work:

Provided that evidence of a witness shall be recorded only from the designated place, except in situations hereinafter provided.
- (8) Where a required person is not capable of reaching the Court Point or the designed place due to sickness or physical infirmity, or whose presence cannot be secured without undue delay or expense, the Court may authorize conduct of video conferencing from the place at which such person is located. In such circumstances the court may direct the use of portable video conferencing systems and ensure presence as it may deem fit.
- (9) Where the court is of the opinion, for reasons to be recorded in writing that, evidence of the witness cannot be effectively recorded, it may decline to examine such witness through video conferencing.

14. Exhibiting or showing documents to witness or accused at a remote point.-

If in the course of examination of a person at a remote point by video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner.

- (a) If the document is at Court Point, by transmitting the document through document visualizer;
- (b) if the document is at Court Point, but document visualizer is not available, by transmitting a copy or image of the document to the remote point electronically through the designated video conferencing software or official e-mail;
- (c) if the document is at the remote point, by transmitting a copy or image of the document to the Court Point electronically through the designated video conferencing software or official e-mail. The hard copy of the document counter signed by the witness and the coordinator at the designated place shall also be dispatched to the Court Point.

15. Ensuring seamless video conferencing.-

- (1) The coordinator at Court Point shall provide the live link of the video conferencing hearing to advocates or the required person.
- (2) If the proceedings are carried out from any place other than a remote point, the coordinator, if any, at such remote point shall ensure compliance of all technical requirements.
- (3) The coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned advocate or the required person and guide them in regard to the fulfillment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problem faced by such advocate or the required person shall be resolved by the coordinator at Court Point.
- (4) The coordinator at the Court Point shall ensure that any document or audio-visual files, emailed by the advocate or the required person, are duly received at the Court Point.

16. Remand.-

The court may authorize detention in judicial custody, of any person accused of an offence, by video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication as per the provisions of section 187 BNSS:

Provided that if the accused is already in judicial custody, whether of the same Court or some other Court or is undergoing sentence, the Court may further remand him during inquiry or trial under section 346(2) of the BNSS through video conferencing or other modes of audio-visual electronic communication.

17. Plea bargaining.-

The Court may also use the modes of audio-visual electronic communication for the purpose of plea bargaining under Chapter XXIII of the BNSS.

18. Record of proceedings through audio-visual electronic communication.-

Wherever any proceeding is carried out by the Court under these rules by taking recourse to the modes of audio visual electronic communication, the Court shall mention in the order sheet, that the hearing is conducted through video conferencing.

CHAPTER V

GENERAL PROCEDURE

19. General Procedure.-

- (1) The procedure set out hereinafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated elsewhere in these rules where proceedings are conducted through video conferencing or other modes of audio visual electronic communication.
- (2) The coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through designated video conferencing software:

Provided that in the event of a technical fault or for any other sufficient cause, the Court may for reasons to be recorded in writing, permit the use of a software other than the designated video conferencing software for video conferencing in that particular proceeding:

Provided further that nothing contained in these rules shall prevent a Court, after recording its reasons in writing, from using any software other than the designated video conferencing software or other modes of audio visual electronic communication, to facilitate the hearing of cases in electronic mode.
- (3) In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness, or a court witness, or a defence witness, or a person is to make submission for prosecution, or a person is to make submission for defence, the advocate for the prosecution or defence or the accused, as the case may be, shall confirm to the Court the location of the person, and the time, place and technical facilities available for such video conferencing.
- (4) If the accused is in custody and not present at the Court Point, the Court shall order a multi-point video conference between Court Point, the witness and the accused in custody to facilitate recording of the statement of the witnesses including medical or other experts.

20. Conduct of Proceedings.-

- (1) All advocates, required persons, the party in person or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants), shall have their presence recorded. However, in case participants are desirous that their face or name be masked, information to that effect shall be furnished to the Court Point coordinator prior to the commencement of proceedings for the approval of the court.
- (2) All Advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall abide by the requirements set out in Schedule I.
- (3) The Court Point coordinator shall send the live link on mobile number furnished by the participants permitted to be virtually present in the Court. Once the proceedings have commenced, no other person shall be permitted to participate in the virtual hearing, except with the permission of Court.
- (4) Participation in the proceedings through video conferencing shall constitute consent by the participants to the proceedings being recorded.
- (5) Establishment and disconnection of links between the Court Point and the remote point shall be regulated by orders of the Court.
- (6) The court shall satisfy itself that the advocate, required person or any other participant that the court deems necessary at the remote point or the Court Point can be seen and heard clearly and can clearly see and hear the court.
- (7) To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity shall be brought to the notice of the Court at the earliest on the mobile number of the Court Point coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the video conferencing.

21. Third parties to the case.-

- (1) Third parties may be allowed to remain present during video conferencing unless directed otherwise by the Court. However, they shall be passive participants and shall not be allowed to make any submission without permission of the Court.

(2) Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the remote point, that person shall be identified by the coordinator at the remote point at the beginning of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the Court. Such person shall continue to remain present only with the permission of the Court.

22. Cost of Video Conferencing

In the absence of rules prescribed by the concerned Court, the Court may take into consideration the following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

- a. The expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies/certified copies of the Court record and transmitting the same to the Coordinator at the Remote Point, and the fee payable to the translator/interpreter/special educator, as the case may be, as also the fee payable to the Coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as directed by the Court.
- b. Besides the above, the Court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account the rules / instructions regarding payment of expenses to the parties, complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.
- c. It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

23. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jail Adalats

- a. In conformity with the provisions of the Legal Services Authorities Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman/ Secretary of the District Legal Service Authority or Members of Lok Adalats before passing any award or orders as per law.
- b. Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.
- c. Copy of the award or order and the record of proceedings shall be sent to the Remote Point.

24. Allowing persons who are not parties to the case to view the proceedings

To observe the requirement of an open Court proceeding, members of the public shall be allowed to view Court hearings conducted through video conferencing, except proceedings ordered for reasons recorded in writing to be conducted in- camera. The Court shall endeavour to either provide an open link or make available sufficient links (consistent with available bandwidth) for accessing the proceedings.

Chapter VI

Miscellaneous

25. Power to Relax

The High Court may if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by order dispense with or relax the requirements of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

26. Residual Provisions

Matters concerning which no express provision has been made in these Rules shall be decided by the Court consistent with the principle of furthering the interests of justice.

27. Repeal and Savings

- (1) The High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts, 2021 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding the repeal, provisions of High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts, 2021 shall apply to:-
 - a) Actions and proceedings commenced before these rules came into force.
 - b) All notifications/orders published/issued under the High Court of Delhi Rules for Video Conferencing for Courts, 2021, to the extent they are not repugnant to these rules, shall be deemed to have been made or issued under these rules.

SCHEDULE I

1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial

officers and court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.

2. Proceedings shall be conducted at the appointed date and time. Punctuality shall be scrupulously observed.
3. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the Court.
4. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical Court. Judges shall be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Officers will be addressed by their designation such as "Court Master". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel".
5. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till they are called upon to make submissions.
6. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.
7. Every Advocate appearing through video conferencing before a Court/ Tribunal shall join from the Advocate's remote point. An endeavor shall be made by Advocates not to join from mobile phones, from public places, vehicles or Court corridors, especially for addressing long arguments, barring under exceptional circumstances with the permission of the Court.
8. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may, if the Presiding Judge so directs, render the proceedings *non-est*.
9. All participants' cell phones shall remain switched off or in airplane mode during the proceedings.
10. All participants shall endeavor to look into the camera, remain attentive and shall not engage in any other activity during the proceedings.
11. All participants shall ensure that there is no background noise, unnecessary movements, and interruptions shall be minimized to maintain the decorum of judicial proceedings.
12. The use of offensive language, disrespectful behavior, or non-compliance with judicial instructions may lead to immediate removal from the session and potential legal consequences.
13. Only courts have the discretion to mute or remove any participant violating these conduct rules.

SCHEDULE II

Request Form for Video Conference

1. Case Number/CNR Number (if any)

2. Cause Title

3. Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY): _____

4. Location of the Court Point(s): _____

5. Location of the Remote Point(s): _____

6. Name & Designation of the Participants at the Remote Point: _____

7. Reasons for Video Conferencing:

In the matter of:

8. Nature of Proceedings: Final Hearing

Motion Hearing Others

I have read and understood the provisions of Rules for Video Conferencing for Courts ([hyperlink](#)). I undertake to remain bound by the same to the extent applicable to me. I agree to pay video conferencing charges if so, directed by the Court.

Signature of the applicant/authorized signatory:

Date:

A) Bench assigned:**B) Hearing:**

Held on (DD/MM/YYYY):

Commencement Time:

End time:

Number of hours:

C) Costs:

Overseas transmission charges if any:

To be Incurred by Applicant/Respondent: To be shared equally:

Waived; as ordered by the Court:

Signature of the authorized officer;

Date:

For use of the Registry/Court Point Coordinator

By Order of this Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General